

न्यायालय नायब तहसीलदार..... वृत्त..... जिला.....म.प्र.

रा.प्र.क्र.....
मद..... ग्राम..... प.ह.न....
रा.नि.मं. तह0.....

-: इशतेहार :-

एतद द्वारा सर्व संधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका.....
पिता/पति..... जाति..... ग्राम..... तहसील.....
जिला..... के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया है कि ग्राम..... प.ह.न.....
रा.नि.मं..... तहसील..... जिला..... स्थित भूमि खसरा नंबर.....
रकबा.....मे से..... हे. भूमि पर.....
..... किये जाने का निवेदन किया है ।

इस संबंध में किसी हितबद्ध पक्षकार/शासकीय संस्था/विभाग को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने किसी मान्य अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति नियत पेशी दिनांक..... तक प्रस्तुत कर सकता है । नियत पेशी दिनांक पश्चात प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी ।

जारी दिनांक.....

नायब तहसीलदार

पेशी दिनांक.....

.....वृत्त.....

प्रतिलिपि :-

माल जमादार..... को ग्राम में मुनादी हेतु एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड या ग्राम चौराहे पर चस्पा करने हेतु एक प्रति मय हस्ताक्षर के न्यायालय में वापिस करे ।

नायब तहसीलदार
.....वृत्त.....

न्यायालय नायब तहसीलदार..... वृत्त..... जिला.....म.प्र.

रा.प्र.क्र.....
मद..... ग्राम..... प.ह.न....
रा.नि.मं. तह0.....

-: इशतेहार :-

एतद द्वारा सर्व संधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका.....
पिता/पति..... जाति..... ग्राम..... तहसील.....
जिला..... के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया है कि ग्राम..... प.ह.न.....
रा.नि.मं..... तहसील..... जिला..... स्थित भूमि खसरा नंबर.....
रकबा.....मे से..... हे. भूमि पर.....
..... किये जाने का निवेदन किया है ।

इस संबंध में किसी हितबद्ध पक्षकार/शासकीय संस्था/विभाग को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने किसी मान्य अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति नियत पेशी दिनांक..... तक प्रस्तुत कर सकता है । नियत पेशी दिनांक पश्चात प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी ।

जारी दिनांक.....

नायब तहसीलदार

पेशी दिनांक.....

.....वृत्त.....

प्रतिलिपि :-

माल जमादार..... को ग्राम में मुनादी हेतु एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड या ग्राम चौराहे पर चस्पा करने हेतु एक प्रति मय हस्ताक्षर के न्यायालय में वापिस करे ।

नायब तहसीलदार
.....वृत्त.....